राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 904/2013/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, डूँगरपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जैन इरीगेशन सिस्टम्स लि.,
306, आदर्श प्लाजा, खासा कोठी सर्किल,
बनीपार्क, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शीतांशु शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 192/अपील्स–II/RVAT/जयपुर/बी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़दस्ता–उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति रूपये 98,550/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 02.04.2009 को वाहन संख्या जीजे–09/वाई–5721 को खजुरी (डूँगरपुर) पर रोककर चैक किया गया। वाहन में परिवहनित कर योग्य मॉल पीवीसी पाईप राज्य बाहर (गुजरात) से राज्य के भीतर (जयपुर) के लिए स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिनकी जांच पर सशक्त अधिकारी ने पाया कि परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रपत्र वैट–47 संलग्न नहीं था। सशक्त अधिकारी ने इसे अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए प्रत्यर्थी से स्पष्टीकरण पूछा गया जिसके प्रतिउत्तर में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा जवाब के साथ वैट–47 भी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब को अस्वीकार कर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.04.2009 पारित करते हुए शास्ति राशि रूपये 98,550/– का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा कर योग्य माल पीवीसी पाईप का राज्य बाहर (गुजरात) से राज्य के भीतर (जयपुर) स्टॉक ट्रांसफर पर परिवहनित किया जा रहा था किन्तु परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज घोषणा प्रपत्र वैट–47 नहीं था, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की कर चोरी की मंशा को दर्शाता है। सशक्त अधिकारी द्वारा विधिक रूप से शास्ति का आरोपण किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में विधिक भूल की है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज के अनुसार कर योग्य माल पीवीसी पाईप गुजरात से जयपुर स्टॉक ट्रांसफर पर परिवहनित किया जा रहा था किन्तु दस्तावेज के साथ वांछित घोषणा पत्र वैट–47 साथ नहीं था। इसके संबंध में उन्होंने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी से स्पष्टीकरण पूछा गया जिसके प्रतिउत्तर में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ वैट–47 भी प्रस्तुत कर दिया गया। प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.पी.मेटल बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611** का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त न्यायिक निर्णय के अनुसार कारण बताओ नोटिस की पालना में वैट–47 प्रस्तुत कर दिये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर योग्य माल पी.वी.सी. पाईप से सम्बन्धित माल के आयात/परिवहनित करने पर वक्त जांच चेकिंग के समय अधिनियम की धारा 76(6) अनुसार वेट 47 प्रपत्र मार्गस्थ माल के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना विधिक अनिवार्यता है, परन्तु वक्त जांच उक्त अपेक्षित घोषणा पत्र वैट 47 नहीं पाया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र सशक्त अधिकारी के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर कथन किया कि वाहन चालक भूलवश घोषणा पत्र ऑफिस में ही भूल गया था। जिसको मय जवाब अब प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे प्रकरणों में डी.पी. मेटल्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसका उल्लेख माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त एसीटीओ, एफएस भरतपुर बनाम हरसहाय द्वाराका प्रसाद अग्रवाल वो. 43 पार्ट 7 टैक्स अपडेट पृष्ठ 230 में निम्न प्रकार उल्लेखित किया है :–

"In my view, the order of the Tax Board deserves to be upheld for the reason that the declaration form, which was obtained by the asessee, was available with them, and which was produced immediately on demand, and even on the same day of intercepting the vehicle. Admittedly, it is not a case that the declaration form was obtained subsequent to the dispatch of the goods or after being intercepted by the authorized

लगातार.....3

officer of the Revenue, and admittedly the vehicle was checked on June 23, 1999 on an information given by the vehicle incharge to the assessee, he appeared before the authorized officer himself on the same day, i.e. June 23, 1999 and produced decalaration form ST-18C, therefore, once it is a finding of fact given by the assessing officer that the declaration form was produced on the same day on June 23, 1999 when the vehicle was intercepted, in my view, in the light of the judgment rendered by the honorable apex court in the case of D.P. Metals [2001] 124 STC 611 (SC)' [2002] 1 SCC 279 and in the light of the rule 54 of the RST Rules, which postulate that principle of natural justice demand that an opportunity should be given and therefore, it is a clear cut case where the declaration form, though mandatory, required to be carried with the vehicle but the driver/vehicle incharge forgot to carry the same, which was immediately produced on demand that too on same day."

अपीलीय अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की है जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

7. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य